

Most prevalent

The countries estimated to have the highest prevalence of modern slavery tend to be conflict-affected, have state-imposed forced labour, and have weak governance.

	Rank	Prevalence Rate*	# of People
North Korea	1	104.6	2,696,000
Eritrea	2	90.3	320,000
Mauritania	3	32.0	149,000
Saudi Arabia	4	21.3	740,000
Türkiye	5	15.6	1,320,000
Tajikistan	6	14.0	133,000
United Arab Emirates	7	13.4	132,000
Russia	8	13.0	1,899,000
Afghanistan	9	13.0	505,000
Kuwait	10	13.0	55,000

*Estimated number of people in modern slavery per 1,000 population

Least prevalent

The countries with the lowest prevalence of modern slavery are those with strong governance and strong government responses to modern slavery.

	Rank	Prevalence Rate*	# of People
Switzerland	160	0.5	4,000
Norway	159	0.5	3,000
Germany	158	0.6	47,000
Netherlands	157	0.6	10,000
Sweden	156	0.6	6,000
Denmark	155	0.6	4,000
Belgium	154	1.0	11,000
Ireland	153	1.1	5,000
Japan	152	1.1	144,000
Finland	151	1.4	8,000

*Estimated number of people in modern slavery per 1,000 population

//

■ योगदान देने वाले कारक:

- रपिर्ट प्रमुख कारकों के रूप में **जलवायु परिवर्तन**, **सशस्त्र संघर्ष**, **कमज़ोर शासन** और **कोविड-19 महामारी** जैसी **स्वास्थ्य आपात स्थितियों** की पहचान करती है जिनोंने **आधुनिक दासता में वृद्धि** में योगदान दिया है।
 - मुख्यतः **कमज़ोर श्रमिक सुरक्षा वाले देशों से 468 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के उत्पादों के आयात के कारण **आधुनिक दासता में जीवन जी रहे लोगों में से आधी संख्या** G20 देशों से है जिससे श्रमिकों की स्थिति खराब हो रही है।

■ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की भूमिका:

- जटिल और अपारदर्शी वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ **जबरन मज़दूरी से जुड़ी हुई हैं** जिनमें **कच्चे माल की प्राप्ति, निर्माण, पैकेजिंग और परिवहन** शामिल हैं।
- रपिर्ट उच्च जोखिम वाले उत्पादों जैसे- **इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ताड़ का तेल और सौर पैनलों के आयात के साथ जबरन मज़दूरी, मानव तस्करी तथा बाल श्रम** पर भी प्रकाश डालती है।
 - इससे पता चलता है कि G20 देश जो **किसांमूहिक रूप से प्रत्येक वर्ष अरबों डॉलर के कपड़ा और परिधान की वस्तुओं का आयात करते हैं**, उसके उत्पादन में **जबरन मज़दूरी का उपयोग किये जाने की संभावना है**।

■ मूल्यांकन पद्धति:

- **राजनीतिक अस्थिरता**, **असमानता**, **बुनियादी ज़रूरतों की कमी**, **आपराधिक न्याय तंत्र**, **आंतरिक संघर्ष** और **वसिथापन** जैसे कारकों ने एक राष्ट्र की आधुनिक गुलामी की भेद्यता को परभाषित किया है।
- सूचकांक 2022 **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)**, **वॉक फ्री** और **अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)** द्वारा जारी डेटा का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कैसे "आधुनिक गुलामी सादे लबास में छपी हुई है"।

■ केस स्टडी: कपड़ा उद्योग:

- रपिर्ट में **कपड़ा उद्योग को जबरन मज़दूरी में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित किया गया है**। यह जबरन और अवैतनिक काम, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम, कम मज़दूरी, लाभ की कमी तथा ऋण बंधन की स्थितियों का वर्णन करता है।

- तमलिनाडु में सुमंगली योजना को कताई मलियों में महिलाओं और लड़कियों की शोषणकारी स्थितियों के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय पर्यास और चुनौतियाँ:
 - वर्ष 2030 तक आधुनिक गुलामी, जबरन मजदूरी और मानव तस्करी को समाप्त करने के लक्ष्य को अपनाने के बावजूद रपिपोर्ट में आधुनिक दासता में रहने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि तथा सरकारी कार्यवाही में प्रगति की कमी पर प्रकाश डाला गया है।
 - रपिपोर्ट 10 मिलियन लोगों की वृद्धि को जटिल संकटों के लिये ज़िम्मेदार ठहराती है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष, पर्यावरणीय गतिविधि, लोकतंत्र पर हमले, महिलाओं के अधिकारों का वैश्विक रोलबैक और कोविड-19 महामारी के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव शामिल हैं।
- सफ़िरशि:
 - वैश्विक दासता सूचकांक सरकारों और व्यवसायों को आधुनिक दासता से जुड़ी वस्तुओं तथासेवाओं को आयात करने से रोकने के लिये मज़बूत उपायों और कानूनों को लागू करने की सफ़िरशि करता है।
 - रपिपोर्ट जलवायु परिवर्तन स्थिरता योजनाओं में दासता-विरुद्धी उपायों को शामिल करने, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, बाल विवाह से संबंधित नयियों को कड़ा करने और मूल्य शृंखलाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी सुझाव देती है।

आधुनिक दासता से संबंधित भारत का रुख:

- वधायी ढाँचा:
 - भारत ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (संवदि और प्रवासी श्रमकों को शामिल करने हेतु 1985 में अधिनियम में संशोधन किया गया था) में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये केंद्रीय योजना सहित आधुनिक दासता से निपटने हेतु वधायी उपाय किये हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया है कि संवधान के अनुच्छेद 23 के तहत न्यूनतम मजदूरी भुगतान "जबरन श्रम" के समान है।
- चुनौतियाँ:
 - देश में आधुनिक गुलामी के प्रभावी उन्मूलन में बाधा डालने वाले अधिनियमों के कार्यान्वयन की कमी, भ्रष्टाचार, कानूनी खामियाँ और राजनीति जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
 - उदाहरण के लिये ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्वदेशी समुदाय और मछली पकड़ने तथा कृषि में लगे लोग ऋण बंधन, मानव तस्करी एवं बड़े पैमाने पर वसिथापन के शिकार हुए हैं।
- समय की आवश्यकता:
 - बहु आयामी दृष्टिकोण:
 - सरकार को ऐसे कानून बनाने और लागू करने की आवश्यकता है जो सभी प्रकार की आधुनिक दासता को अपराध मानते हों एवं पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करते हों।
 - व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी संचालन और आपूर्ति शृंखलाएँ बलात् श्रम और मानव तस्करी से मुक्त हों।
 - नागरिक समाज को जागरूकता बढ़ाने, बदलाव को प्रोत्साहित करने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - व्यक्तियों को इस मुद्दे पर स्वयं को शक्ति/जागरूक करना चाहिये, उन्हें उन फर्मों से पारदर्शिता की मांग करनी चाहिये जिनके साथ वे व्यापार करते हैं या जिनमें नविश करते हैं, साथ ही आधुनिक दासता के किसी भी संदिग्ध उदाहरण की सूचना देनी चाहिये।
 - बंधुआ मजदूरी पर सर्वेक्षण:
 - आधुनिक दासता की स्थितियों में फँसे लोगों की पहचान करने और उनकी गणना करने की भी आवश्यकता है। भारत में बंधुआ मजदूरी पर आखिरी राष्ट्रीय सर्वेक्षण 1990 के दशक के मध्य में किया गया था।

नोट: वाक फ्री अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह है जो हमारे जीवन से आधुनिक दासता के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित है।

स्रोत: द हट्टि